न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या:- 157/2025

सुकीना पुत्री अलाबक्स पत्नी वारस अली जाति मुसलमान निवासी चक 15 आर.पी. लखूवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1 असकर अली पुत्र अलाबक्स जाति मुसलमान निवासी लखूवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री विक्रम सिंह राठौड़ - अधिवक्ता वादी
2. श्री तरसेम सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 2

-:निर्णय:-

दिनांक 04.08.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह कि वादिया व प्रतिवादीगण का प्रमाणिक व पंजीबद्ध पता वाद-पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार है।

यह कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता में चक 12 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 51/7 के पत्थर नंबर 144/370 (31) के किला नंबर 5 से 7, पत्थर नंबर 146/370 (33) किला नबर 5, 6, 15, 16, 25, पत्थर नंबर 147/369 (27) किला नंबर 1 से 3, पत्थर नंबर 147/370 (34) किला नंबर 1 से 3, 8 से 12, 19 से 22 कुल 5.819 हैक्टेयर कमाण्ड राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादिया के नाम 3/23 हिस्सा यानि 0.759 हैक्टेयर हिस्सा दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अर्सा दराज पूर्व अच्छी मंदी के लिहाज से रास्ता खाला की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए घरायस विभाजन किया हुआ है तथा मुताबिक विभाजन वादिया को निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि प्राप्त हुई है :-

क- <u>वादिया को विभाजन में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-</u>

चक 12 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 51/7 के पत्थर नंबर 147/370 (34) किला नंबर 2, 3 व 8 कुल 0.759 हैक्टेयर कमाण्ड।

यह कि वादिया वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है तथा वादिया द्वारा अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को अपनी श्रम व पूंजी से उपजाऊ व समतल बनाया है व इसी प्रकार रकमराज व आबयाना अदा करती आ रही है लेकिन इसी,

अनुसार कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने से वादिया के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण रोजाना सीव, बट का तनाजा रहता है। इस कारण वादिया वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित उपचरण (क) के अनुसार खाता विभाजन करवाकर अलग रकमराज कायम करवाने तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने की अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादिया ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादिया के कब्जा काश्त अनुसार कृषि भूमि खाता विभाजन करवाकर इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवा देवें तो उन्होनें ऐसा करने से इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादिया बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :-

क- कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से वादिया के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 12 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता सख्या 51/7 के पत्थर नंबर 147/370 (34) किला नंबर 2, 3 व 8 कुल 0.759 हैक्टेयर कमाण्ड का खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे तथा मुताबिक खाता विभाजन राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री तरसेम सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं., ने दावा में जवाब सहमति पेश कर मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है कि:- हिस्सा वादी सुकीना चक 12 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता सख्या 51/7 के पत्थर नंबर 147/370 (34) किला नंबर 2, 3 व 8 कुल 0.759 हैक्टेयर इसी अनुसार घोषणा की जाकर खाता अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर ,,
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ